B- II
L- 34
I. Polity

लोकसभा की विशेष शक्तियाँ :-

- लोक सभा जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती है इसीलिए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप में केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है अत: मंत्रिपरिषद को सत्ता से बाहर करने का अधिकार केवल लोकसभा के पास है।
- अनुदान की मॉंग पर कटौती प्रस्ताव और मतदान का अधिकार केवल लोकसभा के पास है।
- लोकसभा की सदस्य संख्या ज्यादा होने के कारण संसद की संयुक्त बैठक में लोकसभा को प्राथमिकता प्राप्त हो जाती है और लोकसभा स्पीकर को धन विधेयक प्रमाणित करने की शक्ति होती है।

राज्यसभा की संघात्मक शासन में भूमिका :-

राज्यसभा राज्यों का सदन है और अनुच्छेद 249, 312 में राज्यसभा के लिए विशेष शक्तियों का प्रावधान किया गया है लेकिन राज्य सभा के निम्नलिखित गैर संघात्मक लक्षण भी विद्यमान है :-

(i) अमेरिका की सीनेट में प्रत्येक 50 राज्यों को दो सीटें आवंटित की गई हैं इसलिए सीनेट में राज्यों के बीच समानता का सिद्धांत अपनाया गया है लेकिन राज्यसभा में राज्यों के लिए आवंटित सीट जनसंख्या के अनुपात में है अत: उत्तर-प्रदेश को 31 और गोवा के लिए 1

Scanned by CamScanner

सीट दी गई है।

- राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है जो किसी राज्य से नही आते अपितु विशेष क्षेत्रों से आते हैं।
- राज्य सभा में केन्द्रशासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व भी अजीब प्रतीत होता है और दिल्ली, पुदुचेरी को भी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है जो इसकी संघात्मक व्यवस्था के प्रतिकूल है।

भारत की संचित निधि पर भारित व्यय :-

कार्यपालिका के द्वारा किया गया वह खर्च जिस पर संसद भी कटौती न कर सके इसलिए संचित निधि पर भारित व्यय पर संसद में चर्चा हो सकती है लेकिन कटौती और मतदान संभव नही है।

- संविधान में अनेक पदाधिकारी ऐसे हैं जिनसे तटस्थ और निष्पक्ष कार्य करने की उम्मीद है और ऐसे पदाधिकारी हैं जो स्थायी रूप में कार्य करते हैं और कार्यपालिका के विरुद्ध भी कार्य करते हैं।

Scanned by CamScanner

तटस्थ / निष्पक्ष – राष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का स्पीकर और लोकसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति।

स्वायत्त – संघ लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष / सदस्य प्रशासनिक अधिकारी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक / इनके समस्त प्रशासनिक अधिकारी।

विरूद्ध कार्य – उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते।

धन विधेयक :-

(i) कर आरोपित, उन्मादन, परिवर्तन।

(ii) भारत सरकार द्वारा लिया / उधार या सरकार के द्वारा दी गई गारंटी।

(iii) भारत की संचित निधि से किया गया विनियोग।

(iv) भारत की संचित निधि एवं आकस्मिक निधि की अभिरक्षा।

(v) भारत की संचित निधि एवं लोकलेखा से प्राप्त राशियाँ।

(vi) भारत की संचित निधि पर भारित व्यय में कोई वृद्धि, नवीन व्यय भारित करना।

(vii) सभी से सम्बंधित कोई विषय

Scanned by CamScanner

धन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया :

- सामान्य विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है लेकिन धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जायेगा।
- सामान्य विधेयक पर राज्य सभा की शक्तियाँ समान होती हैं लेकिन धन विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिन के लिए रोक सकती है अन्यथा यह दोनों सदनों में पारित मान लिया जाएगा।

धन विधेयक सदन में लाने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है।

- धन विधेयक के सम्बन्ध में राष्ट्रपति कभी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता जबकि सामान्य विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है।

बजट (वार्षिक वित्तीय विवरण)

(i) बजट का प्रस्तुतीकरण (वित्तमंत्री)
(ii) लोकसभा में प्रस्तुत
(iii) सामान्य चर्चा
(iv) लेखानुदान
(v) विभागीय लाभार्थी
(vi) अनुदान की माँग पर
(vii) कटौती प्रस्ताव
(viii) विनियोग विधेयक
(ix) वित्त विधेयक

Scanned by CamScanner

संसदीय शासन में संसद के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाने के निम्नलिखित माध्यम हैं-

(i) प्रश्नकाल संकल्प प्रस्ताव

(ii) वित्तीय नियंत्रण

(iii) सरकार के कार्यकलाप से संबंधित सदन में होने वाली विभिन्न चर्चाएं

वार्षिक वित्तीय विवरण समूचे वित्तीय वर्ष के आय और व्यय का अनुमानित प्रपत्र है। भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च का वित्तीय वर्ष होता है और यदि 31 मार्च के पहले बजट पारित न हुआ तो वित्तमंत्री के द्वारा लेखानुदान प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें लगभग दो महीने की राशी पहले ली जाती है लेकिन वर्तमान में बजट में लेखानुदान की परम्परा समाप्त हो गई है क्योंकि बजट 31 मार्च के पहले पारित हो रहा है।

विभागीय समितियों :-

भारत की संसदीय परम्परा में विभागीय समितियों की शुरुआत वर्ष 1993 से हुई क्योंकि बजट पर चर्चा के लिए सदन के पास समय विशेषज्ञता का अभाव है। फिलहाल 24 विभागीय समितियों हैं। प्रत्येक समिति में 31 सदस्य हैं। और ये स्थायी समितियों हैं इनमें 16 पर लोकसभा का प्रशासनिक नियंत्रण होता है।

Scanned by CamScanner

और 8 समितियों को सचिवालय की सुविधा राज्य सभा प्रदान करती है।

विभागीय समितियों का मूल कार्य निम्नलिखित है-

(i) अनुदान की मांग पर चर्चा की जाँच

(ii) मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्ट पर विचार

(iii) मंत्रालयों के द्वारा प्रस्तावित किसी विधेयक पर विचार

इसीलिए विभागीय समितियों के संबंध में कहा जाता है इनके द्वारा समूचे प्रशासन को पैरों की अंगुली पर रखा जाता है, जिसके माध्यम से समितियाँ मंत्रालयों के खर्च और उनके द्वारा किए गए कार्य और निष्पादन पर बारीक नजर रखती हैं।

विभागीय समितियों के अभाव में अनुदान की मांग पर व्यापक चर्चा संम्भव नही हो पाएगी और विपक्ष कटौती प्रस्ताव भी नही ला सकता है।

विभागीय समितियों की गणपूर्ति 1/3 है और इन समितियों में गणपूर्ति के अभाव में बैठकें लम्बित होती हैं। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने समितियों के नियम में बदलाव करते हुए कहा कि गणपूर्ति के बिना भी समितियों की बैठक हो सकती है।

Scanned by CamScanner

विभागीय समितियों के सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष का होता है इसको बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि एक वर्ष संसद समितियों की कार्यप्रणाली समझने में खर्च हो जाता है।

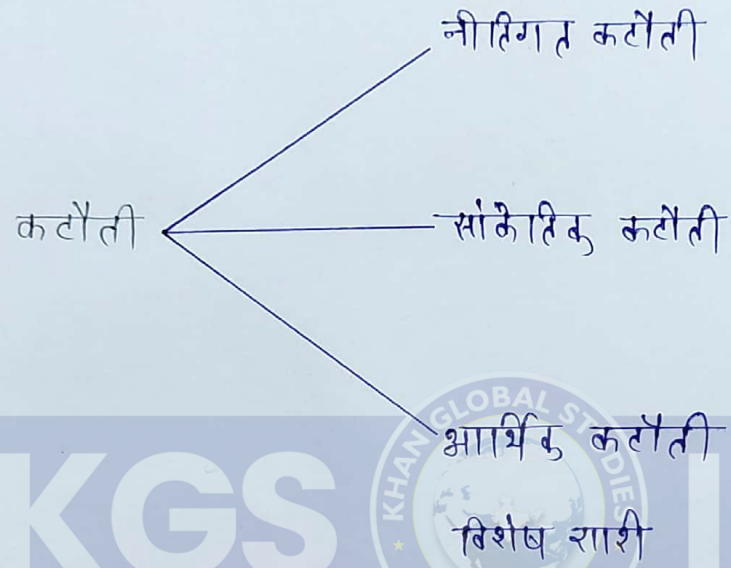

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

Scanned by CamScanner